



# अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्थान,  
नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in

email : principal@ecajmer.ac.in

Telefax : 0145- 2671800, 2671801

पत्रांक : अमअ / 2024 / 01

दिनांक : 02/4/2024

## कार्यालय आदेश

अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक साबीनि/जीपीए/रा.कर्म/पार्ट-4/2017-18/5383-5433 दिनांक 27.03.2024 के अनुसार राज्य सरकार एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2024-25 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त के क्रम में महाविद्यालय कार्मिकों को निम्न तालिका अनुसार विकल्प पत्र भरकर लेखाशाखा में दिनांक 18.04.2024 तक प्रस्तुत करना है जिससे माह अप्रैल-2024 के वेतन से कटौती की जा सके। विकल्प पत्र के अभाव में महाविद्यालय द्वारा समूह व्यक्तिगत बीमा की कटौती किया जाना संभव नहीं होगा। विकल्प पत्र में प्रीमियम कटौती हेतु तालिका निम्न प्रकार है:-

| श्रेणी | बीमाधन | कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती |
|--------|--------|-----------------------------------|
| 1.     | 10 लाख | 700/-                             |
| 2.     | 20 लाख | 1400/-                            |
| 3.     | 30 लाख | 2100/-                            |

  
प्राचार्य  
(P)